सरल कानूनी ज्ञान माला – 42

शिक्षा का अधिकार
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072

ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार –
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

ज्ञान नगर बस्ती में स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने मिलकर ''शिक्षा के अधिकार'' के प्रचार–प्रसार के लिए एक रैली निकाली। बच्चे नारे लगाते हुए चल रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं। जिन पर नारे लिखे हुए थे। अंत में रैली एक सभा में बदल गयी। पूरी बस्ती के लोग बड़ी संख्या में सभा में आये। सबसे पहले प्राचार्य सोबन सिंह जी ने बोलना शुरू किया।

सोबन सिंह : भाइयों और बहनों आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि शिक्षा का अधिकार क्या है?

ज्ञान सिंह : भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा इस अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल कर लिया गया। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस कानून के अनुसार हमारे देश की संसद ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 1 अप्रैल 2009 को लागू किया है। इसके बाद कागजी रूप से ही सही पर भारत उन 130 से अधिक देशों की जमात में शामिल हो गया है जो अपने देश में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये कानून से बंधे हैं।

ज्ञान सिंह : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 क्या है?

सोबन सिंह : यह एक कानून है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस कानून में कहा गया है कि देश में 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को चाहे वह बालक हो या बालिका, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह शिक्षा सरकार द्वारा निःशुल्क और उनके घर के नजदीक के विद्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।

ज्ञान सिंह : वह कौन से बच्चे हैं जिन्हें इस अधिनियम का लाभ मिल सकेगा?

सोबन सिंह : 6 से 14 साल तक की उम्र के सभी बालक/बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे और विकलांग बच्चे आदि सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमारे देश के कानून ने दिया हैं।

कमला : प्राथमिक शिक्षा क्या है?

सोबन सिंह :

- कक्षा 8 वीं तक अब हर बालक/बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिये स्कूल द्वारा बच्चों से कोई फीस/शुल्क/व्यय नहीं लिया जाएगा।
- निःशुल्क से तात्पर्य है कि स्कूल द्वारा किसी बच्चे से ऐसी कोई फीस, शुल्क या व्यय नहीं लिया जाएगा जो उस बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधक हो।

कमला : अनिवार्य शिक्षा से क्या मतलब है?

सोबन सिंह :

- अनिवार्य शिक्षा से मतलब है कि 6 से 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, यानी स्कूल में उनका नाम दर्ज किया जाए।
- सभी बच्चों को स्कूल में शत–प्रतिशत उपस्थिति हो, यानी बच्चे नियमित स्कूल आएं और अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ना–लिखना सीखें। इन बातों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है।
- इस कानून के अनुसार जो स्कूल सरकार के अधीन हैं, उसे निर्धारित सीमा तक बालक/बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश देने की बाध्यता है। इस कानून के अनुसार बालक/बालिका को किसी स्कूल में प्रवेश देते समय कोई शुल्क जैसेः दान, चंदा, व्यय आदि नहीं लिया जाएगा।

कमला : यदि इस अधिनियम का उल्लंघन होता है तो?

सोबन सिंह : यदि कोई विद्यालय/स्कूल इन बातों का उल्लंघन करता है यानि बच्चों से या उनके माता–पिता अभिभावक से कोई शुल्क, व्यय प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति या विद्यालय/स्कूल को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। यह जुर्माना वसूली गयी फीस या शुल्क से 10 गुना तक हो सकता है।

कमला : बच्चे को स्कूल में दाखिले के लिए क्या माता–पिता का साक्षात्कार होगा?

सोबन सिंह :

- स्कूल में प्रवेश देने से पहले बालक/बालिका, माता–पिता या संरक्षक का साक्षात्कार या प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी।
- यदि कोई स्कूल या व्यक्ति किसी भी बालक/बालिका को इस प्रक्रिया के अधीन रखता है, तो पहली बार उल्लंघन के लिए रू0 25,000 एवं यदि इसके बाद भी शिकायत मिलती है तो रू0 50,000 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

किशन : जिन बच्चों के माता–पिता मजदूरी कार्य करने के लिये दूसरे शहर जाते हैं उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा?

सोबन सिंह :

- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत द्वारा पलायन या बाहर जाने वाले परिवारों को चिन्हित किया जाएगा।
- ऐसे परिवारों की सूची बनाई जाएगी और इन परिवारों के बच्चों को स्कूल में दर्ज कराया जाएगा। साथ ही विकलांग बच्चों को भी अपने नजदीक के स्कूल में भर्ती किया जाएगा। इन बच्चों को शिक्षा और सीखने से संबंधित विशेष सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और यदि स्कूल दूर है या विकलांग बच्चे को स्कूल तक आने में दिक्कत है तो?

सोबन सिंह :

- ऐसे बच्चों के स्कूल तक आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। हर स्कूल में रेम्प (आने जाने के लिए ढाल वाला रास्ता) बनाया जाएगा ताकि विकलांग बच्चों को स्कूल के अंदर आने में असुविधा न हो।
- जिन बच्चों को 6 वर्ष से अधिक उम्र होने पर स्कूल में दर्ज किया जाए और वे 14 वर्ष की उम्र तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 8 वीं) पूरी नहीं कर पाएं तो 14 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।

ज्ञान सिंह : माता–पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारियां क्या हैं?

सोबन सिंह :

- इस कानून के क्रियान्वयन में बच्चों के माता–पिता और अभिभावकों की भूमिका महत्वूपर्ण है क्योकि इन लोगों में से ही स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा।
- यह समिति स्कूल की वार्षिक योजना बनाएगी और स्कूल की नियमित गतिविधियों जैसे स्कूल का समय पर खुलना बंद होना, स्कूल में पढ़ाई होना, बच्चों का अपने शिक्षा स्तर के अनुसार सीखना, पालकों के साथ हर महीने बैठक होना, मध्यान्ह भोजन आदि बातों की देखरेख करेगी।
- प्रत्येक माता–पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के लिए आसपास के स्कूल में प्रवेश दिलाएं, नियमित स्कूल भेजें और उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराएं। बच्चों के माता–पिता और अभिभावक यदि बच्चे को स्कूल न भेजें तो उन पर कोई दण्ड या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। फिर भी माता–पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि

वे अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश कराएं, उसको नियमित स्कूल भेजें और प्राथमिक शिक्षा पूरी कराएं।

किशन : इसमें सरकार संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं?

सोबन सिंह : इस कानून के क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. अपने पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे (बालक/बालिका) को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना।

2. इस कानून में तय किए गए मापदण्ड के अनुसार पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराना यानी बस्ती के 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना।

कमला : क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भी समान समझा जायेगा?

सोबन सिंह : यह सुनिश्चित होगा कि किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. परिवार के बच्चे, बालिकाऐं और विकलांग बच्चों के साथ किसी स्कूल में किसी तरह का भेदभाव न हो, और न ही कोई ऐसी बात हो जो किसी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने में बाधक हो।

ज्ञान सिंह : पंचायत और नगर निकायों की इसमें क्या भूमिका है?

सोबन सिंह :

- हर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों का रिकार्ड रखना।
- हर पंचायत या नगरीय निकाय यह तय करेंगे कि उनकी सीमा में रहने वाले सभी बच्चे स्कूल में प्रवेश लें, नियमित स्कूल जाऐं, और अपनी आठवीं तक शिक्षा पूरी करें।
- अपनी पंचायत क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, भवन, शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री जैसी सुविधायें उपलब्ध कराना।
- स्कूल के मानकों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।
- यह तय करना कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समय पर पूरा किया जाए।
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।

कमला : हमें तो हर साल मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है फिर हमारे बच्चों का क्या होगा?

सोबन सिंह : प्रवासी परिवार (ऐसे परिवार जो मजदूरी आदि के लिए दूसरे

स्थान पर जाते हैं) के बच्चों के स्कूल प्रवेश को सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अलावा यह भी देखा जायेगा कि स्कूल में जाति, वर्ग, धर्म या लिंग आधारित भेदभाव न किया जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार और विकलांग बच्चों के साथ कक्षा में, मध्यान्ह भोजन के समय, खेल में, पीने के पानी और शौचालय के उपयोग में किसी तरह का भेदभाव न किया जाए और शौचालय या कक्षा की सफाई करने में भी किसी तरह का भेदभाव न किया जाए।

ज्ञान सिंह : क्या बच्चों को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाई जायेगी?

सोबन सिंह : इस कानून के अनुसार किसी बच्चे को किसी तरह का शारीरिक दण्ड जैसे : मार–पीट, मुर्गा बनाना, बेंच पर खड़ा करना आदि और मानसिक उत्पीड़न जैसेः जाति, धर्मसूचक शब्द, शारीरिक विकलांगता के शब्द का प्रयोग किसी तरह से नहीं किया जा सकता है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे शिक्षक/शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

कमला : स्कूल में प्रवेश एवं फीस के नियम कायदे कैसे होंगे?

सोबन सिंह :

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट नजदीक रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित की गयी है।
- विशेष तरह के स्कूलों जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय में 25 प्रतिशत सीट पर स्थानीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार के बच्चों एवं विकलांग बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही प्राईवेट विद्यालय द्वारा स्कूल में प्रवेश दिए जाने पर इन बालक/बालिकाओं से कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाएगी। यह शुल्क शासन से प्राप्त किया जायेगा।

कमला : क्या स्कूलों में दाखिले के लिए आय का सुबूत देना जरूरी है?

सोबन सिंह :

- किसी भी बालक/बालिका के पास आय का सबूत हो या ना हो उसे प्रवेश दिया जायेगा।
- जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर विद्यालय/स्कूल बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। 6 से 14 साल की उम्र के किसी भी बालक/बालिका को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। लेकिन जन्म का पंजीयन या प्रमाण होना बच्चे और अभिभावक दोनों के हित में है

क्योंकि इस प्रमाण पत्र का उपयोग बच्चे के द्वारा आजीवन विभिन्न कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह पत्र उसके जन्म एवं जीवित होने का एक कानूनी आधार होता है।

- शिक्षा सत्र के प्रांरभ होने के समय जुलाई में या इसके बाद कभी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है।
- जिन बच्चों को बाद में प्रवेश दिया जाएगा उन बच्चों की क्षमता एवं कौशल बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ज्ञान सिंह : स्कूल में छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात क्या होगा?

सोबन सिंह :

- स्कूल में छात्र एवं शिक्षक अनुपात के लिए कक्षा पहली से पांचवी तक 30 बालक/बालिका की कक्षा पर एक शिक्षक या 60 बालक/बालिका की कक्षा के लिए 2 शिक्षक होंगे।
- कक्षा छटवीं से आठवीं कक्षा के प्रत्येक 35 बालक/बालिकाओं पर कम से कम 1 शिक्षक और प्रत्येक विषय विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं भाषा विषय के लिए एक–एक शिक्षक होगा।
- इस कानून के अनुसार सत्र शुरू होने से 6 माह के अंदर यह छात्र : शिक्षक अनुपात पूरा कर लिया जाएगा।

कमला : स्कूल में कार्य दिवस कितने होंगे?

सोबन सिंह :

- एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा पहली से पांचवी तक 200 कार्य–दिवस तय किए गए हैं यानी 200 दिन स्कूल में पढ़ाई की जाएगी। यानी साल भर में कम से कम 800 घंटे स्कूल में पढ़ाई होगी।
- कक्षा छटवीं से आठवीं तक के स्कूल के लिए साल में 220 कार्य दिवस तय किए गए हैं। यानी 220 दिन स्कूल में पढ़ाई होगी, यानी साल में कम से कम 1000 घंटे की पढ़ाई की जाएगी और सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाई की जाएगी।

ज्ञान सिंह : इस अधिनियम में स्कूल प्रबंधन समिति के दायित्व क्या होंगे?

सोबन सिंह :

- स्कूल के कामकाज की देखरेख करना यानी स्कूल समय पर खुले, समय पर बंद हों, स्कूल में पढ़ाई हो और बच्चे कक्षा स्तर के अनुसार सीखें।
- स्कूल के लिए विकास की योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।
- 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को नियमित स्कूल में आने के लिए उनके अभिभावकों को प्रोरित करना।

कमला : क्या बच्चे के माता–पिता से भी बच्चे की पढ़ाई के बारे में पूछा जायेगा?

सोबन सिंह : बच्चों के माता–पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करना और यह देखना कि कोई शिक्षक प्राईवेट ट्यूशन या प्राईवेट शिक्षण कार्य ना करे। स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न न हो। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की देखरेख हो।

कमला : इस अधिनियम में खास क्या है?

सोबन सिंह : इस कानून की एक खास बात यह भी है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूरी होने तक बच्चों की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर प्रत्येक बच्चे को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र सिर्फ कुछ विषयों पर केन्द्रित नहीं होगा बल्कि इसमें कोर्स की गतिविधियों के साथ–साथ संगीत, नृत्य, साहित्य, खेल आदि विषय भी शामिल किए जा सकते हैं।

- इस कानून के अनुसार बालक/बालिकाओं के शिक्षा अधिकारों के संरक्षण एवं देखरेख के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिकृत किया गया है। यह आयोग बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन की परीक्षा एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव देगा।
- बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होने पर शिकायत दर्ज लिखित या मौखिक हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- बच्चों के अधिकार से संबंधित सभी केस व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा किसी सन्देश वाहक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं:

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली

5 वां तल, आई.एस.बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली

एवं

उत्तराखण्ड बाल संरक्षण आयोग,

सिद्धोवाला, विकास नगर रोड,

देहरादून

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000 / – (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ / आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा / करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा / छुपाऊँगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726